Australian Government

Fair Work OMBUDSMAN

फ़ैयर वर्क/निष्पक्ष काम कमीशन की जानकारी सूचना

जब नए कर्मचारी काम करना शुरू करते है तो उस समय उन्हें यह दस्तावेज़ देना नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है।

आपके वेतन व शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

कोरोनावायरस के प्रभाव की अवधि में अपने कार्यस्थल की पात्रताओं और इसके दायित्वों के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट coronavirus.fairwork.gov.au पर प्राप्त करें।

ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों के लिए काम संबंधी अधिकार व सुरक्षाएँ हैं, जो निम्नलिखित के अंतर्गत हैं:

FAIR WORK के कानून
- सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अधिकार
- इसमें National Employment Standards (राष्ट्रीय रोज़गार मानदंड) शामिल है

अधिनिर्णित (सरकार द्वारा बताए गए) वेतन
- किसी उद्योग या कारोबार के लिए न्यूनतम वेतन व शर्तों को बनाना
- ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश कर्मचारियों के लिए ऐसा करना

उद्यम समझौते (ENTERPRISE AGREEMENTS)
- किसी विशेष कार्यस्थल के लिए न्यूनतम वेतन व शर्तों को बनाना
- औपचारिक कार्यविधि द्वारा बात-चीत व पुष्टि किया गया

रोज़गार के कॉंट्रैक्ट
- कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत अतिरिक्त शर्तें प्रदान करना
- न्यूनतम अधिकारों को कम नहीं कर सकते, न ही हटा सकते हैं

अपने अधिनिर्णित वेतन के बारे में इस पर देखें www.fairwork.gov.au. यहाँ देखें कि क्या आपके कार्यस्थल का कोई उद्यम समझौता है या नहीं www.fwc.gov.au/agreements

कैज़्युअल कर्मचारी

यदि आप एक कैज़्युअल कर्मचारी हैं, तो काम शुरू करते समय आपको एक आकस्मिक रोजगार सूचना विवरण भी मिलना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.fairwork.gov.au/ceis पर जाएँ।

वेतन

आपके न्यूनतम वेतन की दरें आपके अधिनिर्णित या उद्यम समझौते में होती हैं। यदि आपके काम के लिए कोई अधिनिर्णित वेतन या समझौता नहीं है तो आपको कम से कम राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। **आपको इससे कम वेतन के लिए मानना नहीं चाहिए।** न्यूनतम वेतन की दरों को आमतौर पर सालाना नवीन किया जाता है।

यहाँ देखें कि आपको कितना मिलना चाहिए www.fairwork.gov.au/minimum-wages

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन
1 जुलाई 2021 से

$20.33/ प्रति घंटा
फुल टाईम या पार्ट टाईम

$25.41/ प्रति घंटा
कैज़्युअल (casual)

यह वयस्क दर है जो उन कर्मचारियों के लिए है जिनका कोई अधिनिर्णित वेतन या उद्यम समझौता नहीं है।
आयु में छोटे लोगों, अप्रेन्टिसों व विकलाँग कर्मचारियों को कम वेतन मिल सकता है।

अपने वेतन, छुट्टियों व नौकरी की समाप्ति संबंधी अधकारों की जाँच करने के लिए हमारे निःशुल्क कैलक्यूलेटर का उपयोग इस
www.fairwork.gov.au/pact

राष्ट्रीय रोज़गार मानदंड (NATIONAL EMPLOYMENT STANDARDS)

यह न्यूनतम मानदंड सभी कर्मचारियों के लिए हैं। नियम व अपवाद लागू हो सकते हैं। **आपका अधिनिर्णित वेतन या समझौता अधिक प्रदान करेगा।**
National Employment Standards **www.fairwork.gov.au/NES** पर अधिक जानकारी पाएँ।

	फुल-टाईम या पार्ट-टाईम कर्मचारी	कैज़्युअल कर्मचारी
वार्षिक छुट्टी	✓ प्रति वर्ष 4 सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी (पार्ट-टाईम कर्मचारियों के लिए अनुपात से) + 1 सप्ताह इस लिए उपयुक्त शिफ़्ट कर्मचारियों के लिए	✗
निजी छुट्टी (बीमारी या देखभाल करने के लिए छुट्टी)	✓ प्रति वर्ष 10 दिन की वेतन सहित छुट्टी (पार्ट-टाईम कर्मचारियों के लिए अनुपात से)	✗
देखभाल करने के लिए छुट्टी	✓ 2 दिन की वेतन रहित छुट्टी प्रति स्वीकृत मौके पर (यदि वेतन सहित निजी छुट्टी न बची हो तो)	✓ 2 दिन की वेतन रहित छुट्टी प्रति स्वीकृत मौके पर
सहानुभूतिपूर्ण छुट्टी	✓ 2 दिन की वेतन सहित छुट्टी प्रति स्वीकृत मौके पर	✓ 2 दिन की वेतन रहित छुट्टी प्रति स्वीकृत मौके पर
परिवार व घरेलू हिंसा के लिए छुट्टी	✓ 5 दिन की वेतन रहित छुट्टी प्रति 12 महीने	✓ 5 दिन की वेतन रहित छुट्टी प्रति 12 महीने
समुदाय सेवा संबंधी छुट्टी • ज्यूरी सेवा	✓ 10 दिन की वेतन सहित छुट्टी तथा कमी-पूर्ति + आवश्यकता अनुसार वेतनरहित छुट्टी	✓ वेतन रहित छुट्टी आवश्यकता अनुसार
• स्वैच्छिक आपातकालीन संचालन गतिविधियाँ	✓ गतिविधि में काम करने के लिए आवश्यकता अनुसार वेतन रहित छुट्टी	✓ गतिविधि में काम करने के लिए आवश्यकता अनुसार वेतन रहित छुट्टी
लम्बी सेवा संबंधी छुट्टी	✓ वेतन सहित (राशि व उपयुक्तता नियम राज्यों व टेरिटोरीज़ में भिन्न हैं)	* राज्यों व टेरिटोरीज़ में भिन्न हैं
माता-पिता के लिए छुट्टी उपयुक्तता 12 महीनों की नौकरी के बाद	✓ 12 महीनों की वेतन रहित छुट्टी – नियोक्ता के समझौते द्वारा यह 24 महीने तक बढ़ाई जा सकती है	✓ नियमित (regular) व व्यवस्थित (systematic) कैज़्युल कर्मचारियों के लिए 12 महीनों की वेतन रहित छुट्टी - नियोक्ता के समझौते द्वारा यह 24 महीने तक बढ़ाई जा सकती है
काम के अधिकतम घंटे	✓ फुल-टाईम कर्मचारी – 38 घंटे प्रति सप्ताह + उचित अतिरिक्त घंटे पार्ट-टाईम व कैज़्युल कर्मचारी - 38 घंटे या कर्मचारी के आमतौर पर किए जाने वाले प्रति सप्ताह के घंटे (जो भी कम हो) + उचित अतिरिक्त घंटे	
पब्लिक छुट्टियाँ	✓ वेतन सहित छुट्टी का एक दिन यदि आमतौर पर आप उस दिन काम करते। यदि आप से काम करने के लिए कहा जाए तो आप मना कर सकते हैं, यदि ऐसा करना उचित हो	✓ एक वेतन रहित छुट्टी का एक दिन। यदि आपसे काम करने के लिए कहा जाए तो आप मना कर सकते हैं, यदि ऐसा करना उचित हो
समाप्ति का नोटिस	✓ नौकरी की अवधि व आयु पर आधारित, 1-5 सप्ताह का नोटिस (या नोटिस के बदले में वेतन)	✗
अतिरेक वेतन 12 महीनों की नौकरी के बाद उपयुक्त	✓ नौकरी की अवधि पर आधारित 4 – 16 सप्ताह का वेतन (कुछ अपवाद लागू होते हैं)	✗
कैज़्युअल परिवर्तन	✗	✓ कुछ परिस्थितियों में पूर्ण कालिक या अंश कालिक कर्मचारी बनने का अधिकार

Australian Government

Fair Work OMBUDSMAN

फ़ैयर वर्क/निष्पक्ष काम कमीशन की जानकारी सूचना

जब नए कर्मचारी काम करना शुरू करते है तो उस समय उन्हें यह दस्तावेज़ देना नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है।

आपके वेतन व शर्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

आवश्यकता के अनुरूप ढालना

यदि आप 55 वर्ष के या इससे अधिक आयु के हैं, देखभाल कर्ता हैं, आपको विकलांगता है, किसी परिवार के सदस्य द्वारा हिंसा की जा रही हो और उसके शिकार है (या किसी ऐसे परिवार, या घर के सदस्य की सहायता कर रहे हैं जो हिंसा का शिकार है), या किसी ऐसे बच्चे के माता-पिता हैं या जिसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी आप पर है जो स्कूल जाने की आयु का है या उससे छोटा है तो आप 12 महीनों की नौकरी करने के बाद **आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए लचीली कार्य-व्यवस्था के लिए लिखित निवेदन कर सकते हैं।** इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो माता-पिता बनने या गोद लेने के लिए छुट्टी के बाद वापस आते हैं और वे बच्चे की देखभाल करने के लिए पार्ट-टाईम काम करने की माँग कर सकते हैं। आपके नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह 21 दिन के अंदर लिखित में उत्तर दे। वे केवल व्यापार संबंधी उचित कारणों के आधार पर ही मना कर सकते हैं।

आप व आपका नियोक्ता कोई **आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए निजी लचीली कार्य-व्यवस्था संबंधी बात-चीत कर सकते हैं।** इससे आप पर आपके अधिनिर्णित या उद्यम समझौते लागू होने की कुछ शर्तें बदलेंगी। एक व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए निजी लचीली व्यवस्था एक वास्तविक विकल्प होनी आवश्यक है - यह नौकरी की कोई शर्त नहीं हो सकता – और इसे कुल मिला कर आपकी स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए। इस पर अधिक जानकारी पाएँ:

www.fairwork.gov.au/flexibility

क्या आपको मालूम है?

आप एक मुफ़्त My account बना सकते हैं जिसमें आप अपने कार्यस्थल संबंधी जानकारी एक स्थान पर यहाँ रख सकते हैं:
www.fairwork.gov.au/register

नई नौकरी आरम्भ करने में मदद के लिए या काम पर कठिन बात-चीत करने के लिए आप निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स ढूँढ सकते हैं। इसके लिए यहाँ देखें:
www.fairwork.gov.au/learning

Record My Hours app आपके काम करने के घंटों को स्थाई रूप से रिकॉर्ड/दर्ज करने को शीघ्र व आसान बनाता है। यह App Store व Google Play पर निःशुल्क है।

नौकरी समाप्त करना

जब आपकी नौकरी समाप्त होती है, आपके अन्तिम वेतन में सभी **बक़ाया हक़** शामिल होने चाहिए, जैसे कि वेतन, न ली गई सालाना छुट्टी व लम्बी सेवा छुट्टी।

हो सकता है कि आपको **समाप्ति का नोटिस** मिलने का अधिकार हो, या नोटिस के बदले में वेतन मिलने का। यदि आपको किसी गम्भीर दुर्व्यवहार के कारण निकाला गया है तो आप नोटिस के लिए हकदार नहीं होंगे। यदि आप त्यागपत्र देते हैं तो आपको अपने नियोक्ता को नोटिस देना पड़ सकता है। यह जानने के लिए कि क्या नोटिस की आवश्यकता है और आपके अन्तिम वेतन में क्या होना चाहिए देखें:

www.fairwork.gov.au/ending-employment

यदि आप सोचते हैं कि आपको **निकाला जाना अनुचित या ग़ैरकानूनी था**, तो Fair Work Commission में दावा दर्ज करने के लिए आपके पास **कैलेंडर के 21 दिन** हैं। नियम व अपवाद लागू होंगे। अधिक जानकरी के लिए इस पर देखें:

www.fairwork.gov.au/termination

काम पर सुरक्षाएँ

काम पर सभी कर्मचारियों की सुरक्षा होती है। आपके साथ भिन्न या बुरी तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके पास कार्यस्थल अधिकार है जिसका आप प्रयोग करते हैं, जैसे कि आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए निजी लचीली व्यवस्था करने का अधिकार, छुट्टी लेना या शिकायत करना या आपकी नौकरी के बारे में पूछताछकरना।

आपको किसी यूनियन में शामिल होने या शामिल न होने का विकल्प चुनने व किसी कानूनी औद्योगिक गतिविधि में भाग लेने या भाग न लेने का विकल्प चुनने का अधिकार है।

बीमारी या चोट लगने के कारण यदि आप काम से कुछ समय के लिए ग़ैरहाज़िर होने, पक्षपात, धमकाना व तंग करने, दबाव, ग़लत प्रतिनिधित्व, नक़ली कॉंट्रैक्ट देना व बहुत अधिक प्रभाव या दबाव डालने से रक्षा प्राप्त है। इस पर अधिक जानें:

www.fairwork.gov.au/protections

समझौता करना

उद्यम समझौते एक नियोक्ता, उनके कर्मचारियों व किसी भी कर्मचारी के प्रतिनिधि (जैसे कि कोई यूनियन के बीच बात-चीत करके किए जाते हैं।)। इस प्रक्रिया को 'मोल-तोल करना' कहते हैं और इसमें बताए गए नियमों का पालन करना होता है। Fair Work Commission समझौतों की जाँच व पुष्टि करती है। उद्यम समझौते बनाने, बदलने या समाप्त करने संबंधी जानकारी के लिए देखें:

www.fwc.gov.au/agreements

व्यापार का हस्तांतरण

यदि व्यापार का हस्तांतरण होता है तो पुराने नियोक्ता के साथ आपकी नौकरी समाप्त हो जाती है। यदि आपको नया नियोक्ता तीन महीने के अंदर आपको वही (या मिलती-जुलती) नौकरी दे देता है तो आपके कुछ अधिकार नए नियोक्ता के यहाँ भी लागू हो सकते हैं। यह तब हो सकता है जब, उदाहरण के लिए, व्यापार बिक जाता है या काम बाहरी स्रोत से करवाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए देखें:

www.fairwork.gov.au/transfer-of-business

प्रवेश का अधिकार

यूनियन के अधिकारी जिनके पास प्रवेश अनुमति-पत्र होता है वे कर्मचारियों से बात करने के लिए, जिनका प्रतिनिधित्व करने या किसी संदिग्ध सुरक्षा समस्या की जाँच करने या कार्यस्थल नियमों के उल्लंघन करने के लिए उनको अधिकार है कि वे कार्यस्थल में आ सकते हैं।

उनके लिए कुछ ज़रूरतों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि नियोक्ता को बताना, कुछ दस्तावेज़ों की जाँच करना या प्रतिलिपि लेना। प्रवेश अनुमति-पत्र धारक, उनके संगठन व आपके नियोक्ता पर सख़्त गोपनीयता संबंधी नियम लागू होते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें:

www.fwc.gov.au/entry-permits

कौन मदद कर सकता है

फ़ैयर वर्क लोकपाल (FAIR WORK OMBUDSMAN)

- वेतन व अधिकारों के बारे में जानकारी व सलाह
- निःशुल्क कैलक्यूलेटर, टेमप्लेट व ऑनलाइन कोर्स
- कार्यस्थल की समस्याओं का समाधान करता है
- कार्यस्थल के कानूनों के उल्लंघनों की जाँच करता है व उन्हें लागू करता है।

www.fairwork.gov.au - 13 13 94

फ़ेअर वर्क कमीशन (FAIR WORK COMMISSION)

- काम पर अनुचित रूप से निकाले जाने पर, ग़ैर कानूनी रूप से नौकरी समाप्त किए जाने पर, धमकाने, पक्षपात या 'प्रतिकूल कार्यवाही' के दावों को सुनती है
- उद्यम समझौतों की पुष्टि करता, बदलता व समाप्त करता है
- प्रवेश आज्ञापत्र जारी करता है व औद्योगिक झगड़ों का निबटारा करता है।

www.fwc.gov.au - 1300 799 675

यदि आप किसी व्यावसायिक भवन बनाने के उद्योग में काम करते हैं तो Australian Building and Construction Commission आपकी सहायता कर सकता है।
www.abcc.gov.au - 1800 003 338

अंतिम अपडेट किया गया जुलाई 2021